तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 44/2025 बउनवान जानसिंह के का. मु. वगैरह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 15.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट. उप.। अपील दर्ज रजिस्ट्र की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध हैं। उक्त रिकार्ड के आधार पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा ख्याला, पटवार हलका रामा, तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के खेत खसरा संख्या 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 44, 56, 62 कुल रकबा 460.05 बीघा का आया हुआ है जिसका पर्चा खतौनी जारी की गई एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया जो वक्त स्थाई बन्दोबस्त सवंत् 2033 तक जारी रहा परन्तु बिना किसी विधिक अधिकार के बन्दोबस्त विभाग ने वक्त स्थाई बन्दोबस्त उक्त खातेदारी अंकन को बदलकर नये खसरान संख्या 78, 210, 178, 179, 108, 232, 236, 190, 006, 62, 182, 102, 104 व 112 कुल रकबा 372.09 बीघा के कायम कर दिये व रकबा 87.16 बीघा कम कर वर्तमान खसरा संख्या 4, 5, 176, 181 के साथ मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दिया है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 4, 5, 176, 181 में वादीगण के वालिदान जानसिंह व जेठमालसिंह पिसरान् ईसरसिंह की समरी बंदोबस्त से उनके कब्जा–काश्त व खातेदारी हक अधिकारों में रही है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा यह वादग्रस्त आराजी गलत व भूल से वादीगण के वालिदान वक्त समरी से पूर्व से लेकर जीवन पर्यन्त बहैसियत खातेदार काबिज–काश्त थे। उनके फौत होने से यह आराजी विरासत के रूप में वादीगण/अपीलांट को प्राप्त हुई अब अपीलांट्स का उक्त आराजी पर बहैसियत कब्जा–काश्त लगातार निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। इसलिये उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 4, 5, 176,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

181 का खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उक्त वादपत्र के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विधिक तथ्यों की जांच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जा–काश्त की भूमि है। अपीलांट एक कृषक है जो हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को कृषि उपयोग में लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलांट का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि ही है। जिस हेतु अपीलांट हस्तगत वादग्रस्त आराजी पर आधारित है। अगर प्रार्थी/अपीलांट्स को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी का जीवन दूभर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश छपा–छपाया आदेश पारित किया गया है। जो गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलांट द्वारा लगातार हस्तगत आराजी का लगान अदा किया गया है। अपीलांट का खसरा परिवर्तनशील दस्तावेज अनुसार भी लगातार खुदकाश्त के रूप में लगातार कब्जा–काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति परिवर्तन करने, अपीलांट को बेदखल करने एंवं किसी सार्वजनिक कंपनी को आवंटन करने पर आमादा हैं। अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज–काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। जिसमें किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। वकील अपीलांट द्वारा दावे के साथ कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। न ही सत्यापित प्रतियां हैं। सभी दस्तावेज फोटोप्रति के रूप में हैं जिनकी वास्तविकता साबित नहीं होती है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खड़े रह कर साबित करना चाहिये। वर्तमान में राजकीय भूमि को राज्य के विकास या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सरकार के साथ हुए करार अनुसार किसी निजी कंपनी को आवंटित की जा सकती है। जिसको अगर निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होगी। उक्तानुसार हस्तगत प्रकरणा में निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

(विनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। प्रश्नगत आवेदन द्वारा चाहा गया अनुतोष की आराजी राजकीय भूमि होने से सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रवाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

15/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर